न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 244/2016/225 आर टी ए

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. बालूराम पुत्र भुराराम जाति कुम्हार निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14.12.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर प्र0 सं0 951/15 अनवानी बालूराम आदि बनाम स्टेट

उपस्थित :–

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–25.05.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 27 डीडब्ल्यूडी के प.न. 146/421 कि.न. 2 ता 5 की 1.012 है0 कमाण्ड मे से 0.1000है0 खाला भूमि प्री–55 से की होने के कारण सनद देने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर बाद रिपोर्ट हल्का पटवारी व तहसीलदार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारी रेस्पो0 के पक्ष मे पारित किये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा सिलिंग सीमा बाबत कोई जांच रेस्पो0 की भूमि से संबंधित नही की एवं अन्य भूमि बाबत कोई रिपोर्ट लिये बिना एवं 1971 मे आवंटन होने संबंधित पत्रावली तलब किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत बनाये गये 1971 के प्री व पोस्ट आवंटन नियम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अल्ट्रावायरल ठहराये जाकर इन नियमों को रिपील कर दिया गया होने के आधार पर 1955 से पूर्व की स्थिति पुनः लौट आने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है परन्तु 1971 मे मुर्तिब पत्रावली को

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

तलब किये बिना एवं उसका अवलोकन किये बिना नये सिरे अपीलाधीन निर्णय के जरिये जो आदेश पारित है वह विधि सम्मत नही है। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को बिना साक्ष्य व सुनवाई का मौका दिये कतई एक पक्षीय तौर से पारित किया गया है जिसका विधि परीक्षण श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा किये जाने पर प्रश्नगत आवंटन दिनांक 14.12.2015 को राज्य हित के विपरीत होना मानते हुए इसकी अपील किये जाने का निर्णय लेने पर उनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक प16(5) विधि परीक्षण/विधि/16/809 दिनांक 29.03.16 को अपील दायर करने हेतु तहसीलदार रावतसर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने पर दिनांक 29.08.16 को पत्र प्राप्त होने पर अपील किये जाने का ज्ञान होने से अपील भीतर मियाद प्रस्तुत की गई इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को कन्डोन योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिसके अनुसार यह साबित था कि प्रश्नगत भूमि 1955 से पूर्व की भूमि है तथा रिकार्ड मे उक्त भूमि बालूराम पुत्र भूराराम साकिन रावतसर आ0का0पूर्व का अंकित है एवं खसरा गिरदावरी मे भी इसी अनुसार अंकित है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का रिपोर्ट मे भी कब्जा काश्त रेस्पो0 का है, अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए निःशुल्क खातेदारी अधिकार प्रदान प्रदान किये है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के कथनानुसार ''विचारण न्यायालय द्वारा सिलिंग सीमा बाबत कोई जांच रेस्पो0 की भूमि से संबंधित नही की एवं अन्य भूमि बाबत कोई रिपोर्ट लिये बिना एवं 1971 मे आवंटन होने संबंधित पत्रावली तलब किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत बनाये गये 1971 के प्री व पोस्ट आवंटन नियम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अल्ट्रावायरल ठहराये जाकर इन नियमों को रिपील कर दिये जाने के आधार पर 1955 से पूर्व की स्थिति पुनः लौट आने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। परन्तु 1971 मे मुर्तिब पत्रावली को तलब किये बिना एवं उसका

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवलोकन किये बिना नये सिरे से अपीलाधीन निर्णय के जरिये जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत नही है।'' जबकि रेस्पो. के कथनानुसार एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 सं. 1 बालूराम पुत्र भूराराम के नाम प्री–55 से दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी मे भी इसी अनुसार अंकित है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का रिपोर्ट मे भी कब्जा काश्त रेस्पो0 का होना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए निःशुल्क खातेदारी अधिकार प्रदान प्रदान किये है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रश्नोतरी प्रपत्र तैयार कर भिजवाया गया जिसमे वादग्रस्त भूमि को रेस्पो0 बालूराम की प्री–55 होना माना है तथा कब्जा काश्त रेस्पो0 का है, अंकित किया गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोई विपरीत तथ्यं अपील के समर्थन मे प्रस्तुत नही किया है तथा ना ही आक्षेपित निर्णय को अपीलांट विधि विरूद्ध साबित करने मे सफल रहा है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.12.2015 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official